राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) सीकर

reliefsectionsikar@gmail.com

क्रमांकः–सहायता/2025/ राजकाज दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ से क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरमम्त एवं पुनरूत्थान हेतु शासन सुंयक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज/18049941 दिनांक 29.09. 2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 123/2025–26 से स्वीकृत किये गये निम्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है–

तहसील–खण्डेला

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेन्सी	कार्यो की संख्या	एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार मरम्मत हेतु राशि लाखों में
1	ग्रम रामपुरा खण्डेला में खडीन की पाल में रिसाव	अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, खण्डेला जिला सीकर	1	2.00
		योग	**1**	**2.00**

(कुल 1 कार्य हेतु राशि रू 2.00 लाख)

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2245–02–122–(02)–01–21 द्वारा केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. एवं राज्य निधि 25 प्रति. होगा।

आपके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताओं में से तात्कालिक मरम्मत हेतु प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की तकनिकी स्वीकृति बाद कार्य प्रारम्भ करने की प्रकिया सुनिश्चित करें।

शर्तेः –

1. **उक्त कार्य एफ एण्ड एफएआर तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।**
2. **स्वीकृत कार्यों को कार्य प्रारम्भ करने के 30 दिवस के भीतर पूर्ण कराना होगा।**
3. **इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**
4. **आपदा राहत निधि मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।**

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by M[illegible]l Sharma
Designation : Colle[illegible]r & District Magistrate
Date: 2025.10.0[illegible] 17:24:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18078330
eSign 1.0

5. **जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कार्यों के निरीक्षण बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।**
6. **स्वीकृत कार्य के लिये विभाग के पास राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।**
7. **अन्य शर्ते आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ. 8(08)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज/18049941 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जारी संलग्न है।**

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांकः—सहायता/2025/राजकाज **दिनांकः— यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपीः— सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन (सिंचाई) सीकर।
3. संबंधित अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जिला सीकर।
4. संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार जिला सीकर।
5- कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर, सीकर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Mukul Sharma
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.0[illegible]7:24:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18078330
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.8(08)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/ जयपुर, दिनांक

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 123/2025–26</u>

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त **बांध/नहरों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सीकर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 17787839 दिनांक 15.09.2025 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार अधि.अभि जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण खंडेला जिला सीकर ब्लॉक खंडेला के 01 कार्य हेतु राशि 2.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलक्टर यह प्रमाण पत्र संम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशी का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
7. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
8. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.29 15:15:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18049941
eSign 1.0

9. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

10. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चत करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।

11. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तिय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।

12. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधन अनुसार हो।

13. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

14. उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यो की स्वीकृति जारी की जावें।

    इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।
    2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
    02– बाढ़, चक्रवात आदि।
    122– खराब सिचाई तथा बाढ नियत्रंण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
    (02)– बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
    [01]– [बाढ़ से प्रभावित खराब सिचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
    21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय निधि 75 प्रतिशत)
    (राज्य निधि 25 प्रतिशत)

15. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

16. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।

17. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।

18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

(शैफाली कुशवाह)
शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.29 15:15:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18049941
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **सीकर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   अधि.अभि जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण खंडेला जिला सीकर ब्लॉक खंडेला के बांध/नहर मरम्मत के 01 कार्य हेतु राशि रूपयें 2.60 लाख की मांग की गई है, नार्म्स अनुसार लघु सिंचाई योजना हेतु प्रति योजना राशि रूपयें 2.00 लाख तक देय है। नार्म्स अनुसार मांग की गई राशि रूपयें 2.60 लाख के सीान पर राशि रूपयें 2.00 लाख स्वीकृत किये गये है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सीकर।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.09.29 15:15:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18049941
eSign 1.0